

File No.AMG-1/SeatNo.-2/TourProgramMisc.Correspondence

Hkkj rh; ys[ kki jh{kk , oa ys[kk foHkkx]  
iz/kku egkys[ kkdj %ys[ kki jh{kk i Fke½ dk dk; kÿ; ] e/; i ns k]  
vktMV Hkou] >ka h jkM] Xokfy; j&474002

[amglhqs.mpl.au@cag.gov.in](mailto:amglhqs.mpl.au@cag.gov.in)

ys[ kki jh{kk iz/kku l ewg i Fke ds ny dz 01 dk nkÿk dk; dz

**“Implementation of 73<sup>rd</sup> amendment in Panchayati Raj Institutions”**

श्री सुनील कुमार भार्गव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	श्री के.के. यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	श्री आषीष निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
--	--	--

क्र.सं.	इकाई का नाम	दिवस	कार्य दिवस
	i LFkku% Hkks ky		28.02.2021
1	आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, भोपाल	06	01.03.2021 to 06.03.2021
	i LFkku% l hgkj		07.03.2021
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीहोर	05	08.03.2021 to 15.03.2021
	i LFkku% vk"Vkj l hgkj		16.03.2021 (प्रातः)
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आष्टा ग्राम पंचायत डाबरी सहित	05	16.03.2021 to 22.03.2021
	i LFkku% Xokfy; j		22.03.2021 (रात्रि)/23.03.2021

vodk'k &ekp&2021 % 7]11]13]14]20]21

(प्राधिकार : प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक: 23.02.2021)

हस्ता/.  
mi egkys[ kkdj  
, -, e-th-&1

fo'k'sk funÿk %

1. PA के लिए कवरेज अवधि पाँच वर्ष अर्थात् वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की होगी। आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है।
2. लेखापरीक्षा दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र करेगा। PA से संबंधित आवंटन–व्यय, बैंक लेन–देन, रोकड़ बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से संबंधित जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
3. लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
4. लेखापरीक्षा के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होने वाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
5. फील्ड कवरेज पूर्ण होने के एक सप्ताह के अंदर गार्ड लाईन, ए.डी.एम. एवं इश्यू एनालिसिस के साथ पायलट स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

File No.AMG-1/SeatNo.-2/TourProgramMisc.Correspondence  
 Hkkj rh; ys[ kki jh{kk , oa ys[ kk foHkkx]  
 iz/kku egkys[ kkdj %ys[ kki jh{kk i Fke½ dk dk; kÿ; ] e/; i ns k]  
 vkMMV Hkou] >ka h jkM] Xokfy; j&474002  
[amglhqs.mpl.au@cag.gov.in](mailto:amglhqs.mpl.au@cag.gov.in)  
 ys[ kki jh{kk i cãku l eg&i Fke ds ny d: 02 dk nkÿk dk; lã  
**“Working of Police Training Centers in Madhya Pradesh”**

श्री संजय मुले, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	श्री डी.एस. सलूजा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	श्री विवेक सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
---	---	---

क्र. सं.	इकाई का नाम	दिवस	कार्य दिवस
	i LFkku% Hkksi ky		28.02.2021
1	महानिरीक्षक (लेखा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल	06	01.03.2021 to 06.03.2021
	i LFkku% Xokfy; j		07.03.2021
2	पुलिस अधीक्षक (पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र), तिघरा	05	08.03.2021 to 15.03.2021

vodk'k & ekp&2021 % 7]11]13]14

(प्राधिकार : प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक: 23.02.2021)

हस्ता/.  
 mi egkys[ kkdj  
 , -, e-th&1

fo'kÿk funÿk %

1. फाबा के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की होगी। आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है।
2. लेखापरीक्षा दल FABA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र करेगा। फाबा से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से संबंधित जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
3. लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
4. लेखापरीक्षा के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
5. फील्ड कवरेज पूर्ण होने के एक सप्ताह के अंदर गाईड लाईन, ए.डी.एम. एवं इश्यू एनालिसिस के साथ पायलट स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

File No.AMG-1/SeatNo.-2/TourProgramMisc.Correspondence  
 Hkkj rh; ys[ kki jh{kk , oa ys[ kk foHkkx]  
 i z/kku egkys[ kkdj %ys[ kki jh{kk i Fke½ dk dk; k; y; ] e/; i ns k]  
 vktMV Hkou] >ka h jkM] Xokfy; j &474002  
[amglhqs.mpl.au@cag.gov.in](mailto:amglhqs.mpl.au@cag.gov.in)  
 ys[ kki jh{kk i z/kku l eg&i Fke ds ny dz 03 dk nk;k dk; dz  
**“Modernization of Jails”**

श्री श्याम जी गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	श्री वाय. पी. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	श्री अमित कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
---	--	---

क्र. सं.	इकाई का नाम	दिवस	कार्य दिवस
	i LFkku% Hkksi ky		28.02.2021
1	महानिदेशक, जेल, भोपाल	06	01.03.2021 to 06.03.2021
	i LFkku% Xokfy; j		07.03.2021
2	अधीक्षक, केंद्रीय जेल, ग्वालियर	05	08.03.2021 to 15.03.2021

vodk'k & ekp&2021 % 7]11]13]14

(प्राधिकार : प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक: 23.02.2021)

हस्ता/.  
 mi egkys[ kkdj  
 , -, e-th-&1

fo'k'sk fun;k %

1. फाबा के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की होगी। आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है।
2. लेखापरीक्षा दल FABA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र करेगा। फाबा से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से संबंधित जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
3. लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
4. लेखापरीक्षा के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
5. फील्ड कवरेज पूर्ण होने के एक सप्ताह के अंदर गाईड लाईन, ए.डी.एम. एवं इश्यू एनालिसिस के साथ पायलट स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

File No.AMG-1/SeatNo.-2/TourProgramMisc.Correspondence

Hkkj rh; ys[ kki jh{kk , oa ys[kk foHkkx]  
iz/kku egkys[ kkdj %ys[ kki jh{kk i Fke½ dk dk; kÿ; ] e/; i ns k]  
vktMMV Hkou] >ka h jkM] Xokfy; j&474002

[amglhqs.mpl.au@cag.gov.in](mailto:amglhqs.mpl.au@cag.gov.in)

ys[ kki jh{kk i z/kku l eg&i Fke ds ny dz 04 dk nkÿk dk; dz

**“Upgradation/Renewal of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (MPRRDA)”**

श्री एस. के. डे, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	श्री गुलाम शाहिद, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	श्री एस. एस. सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
--	--	---

क्र. सं.	इकाई का नाम	दिवस	कार्य दिवस
	i LFkku% Hkksi ky		07.03.2021
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण, भोपाल	06	08.03.2021 to 16.03.2021
	i LFkku% Xokfy; j		16.03.2021 रात्रि
2	महाप्रबंधक, परियोजना कार्यन्वयन इकाई, ग्वालियर	05	17.03.2021 to 23.03.2021

vodk'k & ekp&2021 % 7]11]13]14]20]21

(प्राधिकार : प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक: 23.02.2021)

हस्ता/.  
mi egkys[ kkdj  
, -, e-th-&1

fo' kÿk funÿk %

1. फाबा के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की होगी। आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है।
2. लेखापरीक्षा दल FABA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र करेगा। फाबा से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से संबंधित जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
3. लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
4. लेखापरीक्षा के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
5. फील्ड कवरेज पूर्ण होने के एक सप्ताह के अंदर गार्ड लाईन, ए.डी.एम. एवं इश्यू एनालिसिस के साथ पायलट स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।